

06<sup>0</sup>/<sub>25</sub>

आज यह पत्रावली पेश हुयी। कोई भी  
उप. नहीं है। मूल वाद अदम आठवे पैर  
में खारिज हो चुकी है। इसलिए यह पत्रावली  
आज कार्यवाही किया जाया उचित नहीं है।  
जिस स्थिति में यह पत्रावली भी अदम  
हजरी अदम पैरकी में खारिज की जाती  
है। पत्रावली को मूल मुद्दा होकर नथर  
से कम है। वाद प्रॉप होकर मूल वाद के  
साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी  
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)